उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-32/2019-20

कमलेश कु0 सिंह

बनाम्

गुलाबी साह वगैरह

-: आदेश :-

दिनांक 25/08/17

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता कमलेश कुमार सिंह, पे0-स्व0 विजय कुमार सिंह, सा0-कुम्हार टोला, पन्दाहा, थाना-गोड्डा नगर, अंचल-गोड्डा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0-62/16-17 (कमलेश कुमार सिंह बनाम् गुलाबी साह वगै0) के आदेश दिनांक-12.10.19 के विरूद्ध अपील बाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0-62/16-17 आदेश दिनांक-12.10.19 के द्वारा अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-सुन्दरमोर थाना नं0-543 जमाबंदी सं0-55 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में तिलक सिंह वल्द बसजीत सिंह वो जनक सिंह वल्द अमीका सिंह के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत जनक सिंह, विजय कु0 सिंह को छोड़कर फौत कर गये। विजय कुमार सिंह को तीन पुत्र क्रमशः कमलेश कुमार सिंह (अपीलकर्त्ता) वो यशवंत सिंह वो संजीव कुमार सिंह हुए। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन मौजा-सुन्दरमोर में अवस्थित है। अपीलकर्त्ता का मकान दुर रहने के कारण मौजा-सुन्दरमोर के जमाबंदी सं0-55 के अन्य जमीन के अलावे दाग नं0-1380 के अंदर रकवा 01-09-03 धुर जमीन कुछ वर्षों से भावली में उत्तरवादी प्रथम पक्ष को दिया था वो उक्त जमीन का आधा फसल अपीलकर्त्ता एवं अपीलकर्त्ता के पिताजी को देते आ रहे थे। लेकिन दो वर्ष बाद अपीलकर्त्ता उत्तरवादी प्रथम पक्ष से उक्त जमीन का आधा फसल माँगने के लिए गया तो उत्तरवादी प्रथम पक्ष ने फसल का आधा हिस्से देने से इन्कार कर गया एवं उत्तरवादी प्रथम पक्ष के सदस्यगण कहने

लगे कि हमलोगों ने उक्त जमीन खरीदा है। कभी वे लोग बोलते हैं कि भूदान से लिये हैं। उनका आगे कथन है कि वर्णित जमीन अपीलकर्त्ता की पैतृक जमीन है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के सदस्यगण ने अपीलकर्त्ता के उक्त वर्णित पैतृक जमीन को अवैध ढंग से कब्जा किया है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का खुलम खुल्ला उल्लंघन किया है। निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता ने बहस भी नहीं किया था। दूसरे तारीख का सुनवाई हेतु समय लिया गया था। लेकिन बाद एक तरफा सुनवाई करते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया गया है। निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता को दिनांक–13.11.2019 को अभिलेख दिखाया गया। अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता ने दिनांक–19.11.2019 को नकल पाने हेतु प्रतिलिपि शाखा में आवेदन दिया और उक्त अभिलेख का नकल दिनांक–17.12.19 को अपीलकर्त्ता को मिला। इसके बाद अपीलकर्त्ता का डायबिटीज गंभीर रूप से बढ़ जाने के कारण करीब 15–20 दिन ठीक होने में लग गया। जिससे कुछ विलम्ब हुआ है। फिर भी अपीलकर्त्ता ने अपील आवेदन निर्धारित समय सीमा के अंदर दाखिल किया है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष के सदस्यगण भूदान का जाली कागजात तैयार कर अपीलकर्त्ता के जमीन को हड़पना चाहते हैं। अपीलकर्त्ता को निम्न न्यायालय में न बहस का मौका मिला और न ही अपीलकर्त्ता निम्न न्यायालय में कागजात दाखिल कर सके हैं। उत्तरवादी प्रथम पक्ष ने निम्न न्यायालय को गुमराह कर अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज करवाया है जो नियम के विपरीत है। निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी प्रथम पक्ष को उच्छेद किया जाना चाहिए था। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी प्रथम पक्ष के सदस्यगण को उच्छेद नहीं किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए उत्तरवादी प्रथम पक्ष को उक्त जमीन से उच्छेद करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से अपील के काल अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दिया है। आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी प्रथम पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त भूमि को भोली में देने के संबंध में अपीलकर्त्ता के द्वारा मिथ्या, गलत एवं निराधार कहानी गढ़ी गयी है। यह सत्य है कि उक्त जमीन मौजा–सुन्दरमोर थाना नं0–543 जमाबंदी सं0–55 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में तिलक सिंह वल्द बसजीत सिंह वो जनक प्र0 सिंह वल्द अमीका सिंह के नाम से दर्ज है। दोनों जमाबंदी रैयत ने आपसी पारिवारिक व्यवस्था के तहत उक्त जमाबंदी की जमीन का बँटवारा कर लिया है। उक्त जमीन के साथ अन्य जमीन जमाबंदी रैयत जनक प्र0 सिंह के हिस्से एवं दखल में आया। कुछ समय के बाद जमाबंदी रैयत जनक प्र0 सिंह ने उक्त जमीन भूदान यज्ञ समिति, देवघर को दान में दिया। भूदान यज्ञ समिति, देवघर ने दाग नं0–1380 के अंदर रकवा 00–07–05 धुर जमीन फुलेश्वरी देवी, पति–शिव नारायण महतो, सा0–सुन्दरमोर, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा के साथ भूदान प्रमाण पत्र के द्वारा दिनांक–13.11.63 को बंदोवस्त किया गया है। फूलेश्वरी देवी उत्तरवादी लालमोहन महतो के दादी है। दाग नं0–1380 के अंदर रकवा 00–07–06 धुर जमीन भूदान प्रमाण पत्र के द्वारा दिनांक–13.11.63 को निरासी देवी, पति–हरिहर साह, सा0–सुन्दरमोर, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा के साथ भूदान यज्ञ समिमि, देवघर के द्वारा बंदोवस्त किया गया है। निरासी देवी उत्तरवादी बसंत साह के माता है। दाग नं0–1380 के अंदर रकवा 00–07–06 धुर जमीन बोदी दयाल साह, पे0–अकलू साह, सा0–सुन्दरमोर, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा के साथ भूदान यज्ञ समिति, देवघर के द्वारा बंदोवस्त किया गया है। दाग नं0–1380 के अंदर रकवा 00–07–06 धुर जमीन लक्ष्मण साह, पे0–अकलू साह, सा0–सुन्दरमोर, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा के साथ भूदान यज्ञ समिमि, देवघर के द्वारा भूदान प्रमाण पत्र के द्वारा बंदोवस्त किया गया है। बंदोवस्ती पट्टा का अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के भूदान केश नं0–4634/57–58 आदेश दिनांक–12.09.1961 के द्वारा सम्पुष्ट किया गया हैं तथा भूदानी बंदोवस्तदार के साथ अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा मुटेशन केश नं0–10/ख/65–66 के द्वारा भूमि का नामांतरण भी हो गया है एवं पंजी–2 में भी दर्ज किया गया है तथा भूदानी पट्टा के द्वारा की गयी बंदोवस्तदार के नाम से लगान रसीद भी निर्गत किया जा रहा है। उक्त जमीन पर बंदोवस्तदार रैयत का मकान

निर्मित है। इस प्रकार उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त जमीन अवैध ढंग से कब्जा नहीं किया गया है बल्कि भूदानी पट्टा के आधार पर दखलकार हैं। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–सुन्दरमोर थाना नं0–543 जमाबंदी सं0–55 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में तिलक सिंह वल्द बसजीत सिंह वो जनक सिंह वल्द अमीका सिंह के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–1380 की जमीन भूदानी पट्टा से प्राप्त करने का दावा किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के भूदान केश नं0–4634/57–58 (जनक प्र0 सिंह बनाम् बिहार भूदान यज्ञ समिति, देवघर) के आदेश दिनांक–12.06.1961 के द्वारा दान पत्र को सम्पुष्ट किया गया है। उसके उपरांत दिनांक–13.11.1963 को भूदानी पट्टा का वितरण किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी प्रथम पक्षगण उक्त जमीन पर भूदानी पट्टा के आधार पर दखलकार हैं। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–62/16–17 आदेश दिनांक–12.10.2019 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

25/08/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

25/08/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.21 16:40:02 +05:30
Location: 172.17.208.1